सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-07.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स० श्री हरिभूषण ठाकुर ''बचोल'', स०वि०स० श्री गुंजेश्वर साह, स०वि०स०	"राज्य सरकार ने खाद्य सामग्रियों में मिलावट की जांच हेतु 10 करोड़ की लागत से अगमकुआँ स्थित संयुक्त औषधि एवं खाद्य प्रयोगशाला में तीन आधुनिक मशीनें 6 माह पूर्व लगायी थी । छोटे सहायक उपकरणों की खरीद नहीं होने से तीनों मशीन बेकार पड़ी हुई हैं । उक्त मशीनों के द्वारा खाद्य सामग्रियों में कीटनाशक-रसायन, लौह व भारी धातु एवं पशु उत्पाद सम्बन्धी मिलावट की जांच मिनटों में हो जाती है । तीनों स्वचालित मशीनों से मिलावट की कम्प्यूटराइज्ड रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाती है । मशीन में एक साल तक रिपोर्ट सुरक्षित रहता है । सहायक उपकरणों के अभाव से मिलावट की जांच के लिये एकत्र सैंपल को कोलकाता भेजा जाता है । रिपोर्ट आते-आते एक से दो माह का समय लग जाता है जिस कारण कार्रवाई का औचित्य समाप्त हो जाता है एवं मिलावटी खाद्य पदार्थ का बाजार में प्रचलन बढ़ जाता है । अत: उक्त बेकार पड़े मशीनों को चालू करवाने तथा खाद्य सामग्रियों की जांच की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण

2. श्री संजय सरावगी, स०वि०स० श्री रामप्रवेश राय, स०वि०स० श्री जनक सिंह, स०वि०स० श्री कृष्णनंदन पासवान, स०वि०स० श्री अनिल कुमार, स०वि०स० श्री विनय कुमार चौधरी, स०वि०स०	''भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का आदेश देश के सभी भूभाग में मान्य है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल वाद संख्या-4850/2021 के द्वारा स्पष्ट आदेश दिया है कि देश के मठ-मंदिरों की परिसम्पत्तियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नहीं है, सेवादार हकदार नहीं है । वह राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में ही रह सकता है । बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अन्तर्गत पूरे राज्य में मठ-मंदिरों के नाम पर निबंधित एवं अनिबंधित 30,000 (तीस हजार) एकड़ भूमि है, जिसमें दरभंगा प्रमंडल में 5533 एकड़, मुंगेर प्रमंडल में 3373 एकड़, तिरहुत प्रमंडल में 5800 एकड़ भूमि है, जिसमें अधिकांश भूमि स्थानीय लोगों के अवैध कब्जा में है । अत: उक्त भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त कराकर उसकी बिक्री पर रोक लगाने एवं मठ-मंदिरों के नाम पर अनिबंधित भूमि को समयबद्ध अभियान चलाकर निबंधन कराने तथा भूमि को पैमाईश कराकर पिलरिंग कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	विधि

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-05/2022- 1034 / वि०स०, पटना, दिनांक- 04 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/3/22
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-05/2022- 1034 / वि०स०, पटना, दिनांक- 04 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/3/22
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-05/2022- 1034 / वि०स०, पटना, दिनांक- 04 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा विधि विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/3/22

(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-05/2022- 1034 / वि०स०, पटना, दिनांक- 04 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

4/3/22

(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

4/3/22